न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 09/2007/223 आर टी ए

1. राजबाला पुत्री मघाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

1. राजेराम (फौत)

1/1 तारादेवी पत्नि राजेराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
1/2 कैलाश पुत्री राजेराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
1/3 संजय पुत्र राजेराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

2. औमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. भूपराम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. साधुराम पुत्र बुलाराम जाति सांसी निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. फकुराम पुत्र सुन्दरराम जाति सांसी निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. सन्तरो देवी पुत्री मघाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

–––रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2006 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर अनवानी राजबाला बनाम राजेराम आदि

उपस्थित :–
श्री माडूराम सहारण अधिवक्ता अपीलांट
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4, 5
श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांकः–15.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलां/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता मघाराम की मुश्तरका खाते की रोही मौजा ललाना बास उतरादा मे खसरा नं. 90 मे 44.12 बीघा खातेदारी भूमि थी जिसमे उनका 1/2 हिस्सा था मघाराम फौत हो चुका है उनके जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादी सं. 1ता3 है परन्तु प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 उक्त अपने नाम दर्ज करवा ली और उक्त भूमि मे से प्रतिवादी सं. 1 ने 3.10 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 5 को, प्रतिवादी सं. 2 व3 ने 8 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 4 को व 6 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 5 को बैय करदी जबकि उनके हिस्से मे इतनी भूमि नही आता है। वादी व प्रतिवादीगण को मघाराम के 1/2 हिस्सा भूमि मे बहिस्सा बराबर के खातेदार है, इसी अनुसार घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया का वादग्रस्त भूमि मे हक हिस्सा होना स्वीकार किया इनके बावजूद भी दावा आंशिक डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जब वादियागण/अपीलांट का वादग्रस्त भूमि मे हक व हिस्सा होना स्वीकार कर लिया था तब कुल 22.06 बीघा मे वादियागण का 2/5 हिस्सा घोषित कर प्रतिवादी सं. 4 व 5 के पक्ष मे किये गये बैयनामे हक से ज्यादा भूमि के होने की वजह से शून्य एवं निष्प्रभावी होने की वजह से बैयनामो को शून्य घोषित करना चाहिए था। वादग्रस्त भूमि मे मघाराम के पांचो वारिसों का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा बनता है एवं कानूनन लड़कियों का भी लड़को के समान हक हिस्सा बनता है। इसलिये वादग्रस्त भूमि मे वादियागण का 2/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित ना करके विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट/वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर कौई गौर नही किया। प्रतिवादी रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा अपने हक से ज्यादा भूमि के बैयनामे करवाये गये है जबकि कानूनन हक से ज्यादा भूमि के करवाये गये बैयनामे स्वतः ही शून्य एवं निष्प्रभावी होते है फिर भी विचारण न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई गौर नही किया। प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा जिन तनकीयों को साबित करना था उसे किसी भी दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नही किया उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने दावा आंशिक डिक्री किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि कुल 44.12 बीघा मे मघाराम के 1/2 हिस्सा मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 व 5 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि साबिका खसरा नं. 239 मे 44.12 बीघा रोहीमौजा ललानाबास थी जिसमे मघाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज था। मघाराम के फौत होने पर उक्त भूमि के उनके वारिस प्रतिवादी सं. 1 ता 3 हुये। क्योंकि मघाराम का का परिवार हिन्दू खानदान था और वे मिताक्षरा हिन्दू विधि से शासित है इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को न्यायगत हुई थी। प्रतिवादी सं. 5 ने भूमि खरीद की उस वक्त प्रतिवादीसं. 1 ता 3 वादग्रस्त भूमि खातेदार काश्तकार थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खरीदशुदा भूमि का प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश कर वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट के पिता के नाम से दर्ज थी जो उनके मृत्यु के पश्चात रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज हुई तथा जिसमे प्रतिवादी सं. 1 ने 3.10 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 5 को, प्रतिवादी सं. 2 व3 ने 8 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 4 को व 6 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 5 को बैय करदी। जिसमे अपीलांट द्वारा अपने हक हिस्से 2/5 के संबंध मे घोषणा का अनुतोष चाहा गया। जिसमे जवाबदावा आने के उपरांत तनकीयात कायम की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे विरचित कुल 8 विवाधको मे से एक विवाधक पर विवेचन करते अपीलांट का वादग्रस्त भूमि मे हक हिस्सा तो स्वीकार कर लिया गया परन्तु वादग्रस्त भूमि मे से बैय की गई भूमि को कम करते हुए शेष बची 3.17 बीघा का खातेदार वादियान सं. 1 व 2 को घोषित कर दिया जबकि वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट/वादिया का हक माना गया है तो उन्हे वादग्रस्त 22.06 बीघा मे 2/5 हिस्सा घोषित किया जाना आपेक्षित था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए वाद मे विरचित समस्त विवाधक को विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही मात्र एक विवाधक के आधार पर वाद अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2006 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पुनः नये सिरे विधिसम्मत निर्णय प्रसारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 19.12.2017 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 147/2005/223 आर टी ए

1. मु0बलजीत कौर पुत्री स्व. मुख्त्यारसिंह पत्नि बलदेवसिह जाति जटसिख निवासी जस्सीबागअली तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
2. गमदूरसिंह पुत्र स्व. मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
3. मु0 सुखदीप कौर पत्नि स्व0 डूंगरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
4. महलसिंह पुत्र स्व. डूंगरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
5. मु0 सिंवरजीत कौर पुत्री हरफूलसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
6. मु0 सिम्बलजीत कौर पुत्री हरफूलसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. हरनेकसिंह पुत्र करतारसिंह तथाकथित दत्तक पुत्र बलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– असल रेस्पोडेंट

2. करतारसिंह पुत्र अमरसिंह (फौत)

2/1 दलजीत कौर पत्नि गुरचरणसिंह पुत्र स्व. करतारसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।

2/2 गुरसेवकसिंह पुत्र स्व. गुरचरण सिंह पुत्र स्व. करतारसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।

2/3 महेन्द्र कौर (पुत्री स्व. करतारसिंह) पत्नि हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/4 मूर्ति (पुत्री स्व. करतारसिंह) पत्नि जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी मायसरखाना तहसील मोड जिला मानसा पंजाब।

2/5 बलविन्द्र कौर (पुत्री स्व0करतारसिंह) पत्नि चरणपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मेहना तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

2/6 वीरा (पुत्री स्व. करतारसिंह) पत्नि प्रीतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मेहना तहसील डबवाली जिला सिरसा।

3. शेरसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. टजमेरसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. हरनेकसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

6. जरनैलसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. मलकीत सिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. ठानासिंह पुत्र कुण्डासिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

———रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2005 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र0सं0 18/2001 अनवानी हरनेकसिंह बनाम बलवंतसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2005 को तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज दिनांक 03.10.80 को निरस्त किया जाता है तथा स्व. चेतनकौर द्वारा बलवंतसिंह से खरीदशुदा भूमि मे अपीलांट सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के व अपीलांट सं. 3 व 6 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा के एवं अपीलांट सं. 4 व 5 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खाता विभाजन एवं बेदखली हेतु उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष उपस्थित होकर अनुतोष प्राप्त करें तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आप रेस्पोडेंटस की विधिवत तामील करवाते हुए विभाजन हेतु उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण 6 माह मे करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 03.11.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ